

प्रपत्र -3

**वन संरक्षण अधिनियम , 1980 अंतर्गत प्रेषित किये जाने वाले प्रस्ताव पर मुख्य वन
संरक्षक का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन**

1	परियोजना का नाम	बीजापुर वनमण्डल अन्तर्गत परिक्षेत्र भोपालपट्टनम के आरक्षित वन रकबा 39.6921 हे. एवं संरक्षित वन रकबा 40.8701 हे. नारंगी क्षेत्र रकबा 5.4125 हे. एवं राजस्व वन भूमि (बड़े झाड़ के जंगल) रकबा 18.910 हे. कुल रकबा 104.8847 हे. राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 163 का कि.मी. 0.00 से 36.2778 कि.मी. सड़क मध्य से दोनो ओर चौड़ाई 15.00 मी. - 15.00 मी. कुल चौड़ाई 30.00 मी. एवं लम्बाई 36.2778 कि.मी. को दो लेन चौड़ीकरण एवं उन्नयन हेतु वनभूमि को गैर वानिकी उपयोग हेतु		
2	आवेदक/आवेदक का विभाग का नाम	मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग परिक्षेत्र छ.ग. रायपुर		
3	गैर वनिकी कार्य जिस हेतु वन भूमि की मांग	बीजापुर वनमण्डल अन्तर्गत परिक्षेत्र भोपालपट्टनम के आरक्षित वन रकबा 39.6921 हे. एवं संरक्षित वन रकबा 40.8701 हे. नारंगी क्षेत्र रकबा 5.4125 हे. एवं राजस्व वन भूमि (बड़े झाड़ के जंगल) रकबा 18.910 हे. कुल रकबा 104.8847 हे. राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 163 का कि.मी. 0.00 से 36.2778 कि.मी. सड़क मध्य से दोनो ओर चौड़ाई 15.00 मी. - 15.00 मी. कुल चौड़ाई 30.00 मी. एवं लम्बाई 36.2778 कि.मी. को दो लेन चौड़ीकरण एवं उन्नयन हेतु वनभूमि को गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत व्यवर्तन हेतु चयन किया गया है।		
4	आवेदित क्षेत्र की स्थिति	जिला	वनमंडल	परियोजना स्थल
		बीजापुर	बीजापुर	बारसूर - बीजापुर बीजापुर वनमण्डल अंतर्गत 104.885 हे.
5	वन भूमि / राजस्व वन भूमि का विस्तृत विवरण	FOREST BLOCK	COMPART MENT NO.	AREA (HECT.)
	आरक्षित वन	TIMED	830	1.7824
		TIMED		3.014
		TIMED		0.0036
		TIMED	831	0.1702
		TIMED	834	5.0358
		ANNARAM	837	1.3576
		ANNARAM	837	0.8804
		ANNARAM	861	0.0359
		ANNARAM	861	0.0102
		ANNARAM	856	0.2205

		BANGARANI KONTA	884	2.7274
		BANGARANI KONTA	883	5.927
		BANGARANI KONTA	882	1.3934
	आरक्षित वन	BANGARANI KONTA	881	7.0291
		BANGARANI KONTA	880	4.3897
		KONTA	897	0.0185
		BANGARANI KONTA	896	1.8744
		BANGARANI KONTA	880	3.0005
		BANGARANI KONTA	896	0.8215
	(ख) संरक्षित वन	TIMED	P 835	4.6343
		KANDLA	P 862	3.5623
		KANDLA	P 866	11.1702
		BHADRAKALI	P875	0.0648
		KANDLA	P 867	1.0702
		BHADRAKALI	P 874	0.2971
		BHADRAKALI	P 875	5.0785
		BHADRAKALI	P 876	5.803
		BHADRAKALI	P 874	0.259
		CHANDUR	P 877	0.4114
		TARLAGUDA	P-899	1.7233
		MARRIMALLA	P-900	6.796
	नारगी वन	DEPLA	OA1232	5.4125
	राजस्व वन क्षेत्र	Rampuram	16	0.454
		Rampuram	18	0.490
		Depla	86/1	0.611
		Depla	70/1	0.829
		Metlacheru	1/1	0.496
		Metlacheru	11/1	0.509
		Metlacheru	19/1	0.074
		Metlacheru	1/1	0.062
		Bhadrakali	19	1.462
		Bhadrakali	130	1.394
		Sitanagram	20/1	1.551
		Sitanagram	22	1.649
		Sitanagram	49	0.186
		Kambalpeta	35/1	1.179
		Kambalpeta	38/1	1.240
		Kottur	4/1	5.893
		Kottur	6/1	0.523
		Kottur	56	0.308
	TOTAL REVENUE FOREST			18.910
	GRAND TOTAL			104.8847

6	आवेदित वन क्षेत्र में वनों की वर्तमान स्थिति प्रकार	मिश्रित वन, घनत्व 0.5, साईट क्वालिटी IV-A - IV-B
7	आवेदित क्षेत्र में वृक्षों का विवरण	प्रजाति मिश्रित, उक्त प्रस्तावित सड़क मध्य से दोनो ओर चौड़ाई 15.00 मी. - 15.00 मी. कुल चौड़ाई 30.00 मी. एवं लम्बाई 36.2778 कि. मी. को दो लेन चौड़ीकरण एवं उन्नयन हेतु कुल 104.885 हे. वनभूमि प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित है। तत्कालीन समय में सड़क मध्य से दोनों ओर 10.00 मी. - 10.00 मी. वनभूमि कुल 3066 नग वृक्ष स्थित है। वनमंडलाधिकारी बीजापुर वनमण्डल के प्रतिवेदन अनुसार आवेदक विभाग द्वारा राष्ट्रीय राज्य मार्ग 163 भोपालपटनम से तारलागुड़ा मार्ग में स्थित वृक्षों को अवैध रूप से काट कर मार्ग चौड़ीकरण का कार्य किया गया है। वृक्षों का विवरण कंडिका क्रमांक 12 में संलग्न है।
8	आवेदित क्षेत्र में प्राकृतिक पुनरुत्पादन की स्थिति	नहीं
9	आवेदित क्षेत्र की (विशेष कर खनिज प्रकरणों में) मुख्य मार्ग से (पी.डब्ल्यू.डी./वनमार्ग आदि) से दूरी (जिसे स्पष्ट रूप से मानचित्र में भी अंकित करें।)	आवश्यकता नहीं
10	क्या आवेदित क्षेत्र किसी क्षेत्र (राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण, बायोस्फेयर रिजर्व, प्राकृतिक झील/वाटर बाड़ी, आदिवासी सैटलमेंट क्षेत्र, धार्मिक स्थल) की सीमा के 10 वर्ग कि.मी. के अंतर्गत है अथवा नहीं ? यदि हां तो संक्षिप्त विवरण प्रतिवेदित करें।	नहीं
11	आवेदित वन क्षेत्र के अलावा अन्य गैर वानिकी कार्य हेतु उपलब्ध है अथवा नहीं (विशेषकर खनिज उत्खनन प्रकरणों में आवेदित क्षेत्र के आसपास के 20 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में गैर वन क्षेत्र का निरीक्षण कर जिलाध्यक्ष/ भारत सरकार /राज्य सरकार द्वारा पूर्व स्वीकृत खदानों की संख्या।	आवश्यकता नहीं
12	आवेदित क्षेत्र में आवेदक द्वारा अधिनियम का उल्लंघन किया गया है या नहीं ? यदि हां तो संक्षिप्त विवरण दें।	हाँ वनमण्डलाधिकारी बीजापुर वनमण्डल के प्रतिवेदन अनुसार वर्ष 2015 के माह फरवरी- मार्च के दरम्यान कार्यपालन अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग जगदलपुर एवं अनुविभागीय अधिकारी, राष्ट्रीय राजमार्ग अनुभाग बीजापुर के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 163 भापोलपटनम से तारलागुड़ा 0 से 36 कि.मी. तक पूर्व से उपलब्ध चौड़ाई 07-09 मीटर को वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन कर 13.00 मी. चौड़ाई में (18.00 हे. क्षेत्र) मिट्टी फैलाने का कार्य किया गया है।

प्रमाण पत्र

उपरोक्त जानकारी/विवरण मेरे द्वारा किए गए भौतिक निरीक्षण के आधार पर है। प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 उल्लंघन हेतु आवेदक संस्थान पर दण्डिक प्रावधान के साथ आवेदक संस्थान द्वारा मांग की गई वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु अनुशंसा की जाती है।

स्थान :- जीनापुर

दिनांक :- 22 एवं 23-7-2017,
27-10-2017

(व्ही. श्रीनिवास राव)

भा.व.से.

मुख्य वन संरक्षक,
जगदलपुर वृत्त, जगदलपुर